न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः—सतीश कुमार झा
अग्रिम जमानत आवेदन सं0—365/2026
उत्पाद थाना कांड सं0—152/2026
बिहार राज्य बनाम् कन्हैया कुमार एवं अन्य।

दीपु कुमार उर्फ बिहारी कुमार, पे0—अनिल सिंह उर्फ भीम सिंह, उम्र लगभग 23 वर्ष साकिन—मेहुस, थाना—मेहुस, जिला—शेखपुरा .... आवेदक।

वनाम

बिहार सरकार .... विपक्षी।

आवेदक की ओर से : श्री अनिल कुमार चौधरी, विद्वान अधिवक्ता।

विपक्षी की ओर से : श्री अरविंद कुमार, विद्वान विशेष लोक अभियोजक।

आ दे श

29.06.2026 अभियुक्त दीपु कुमार उर्फ बिहारी कुमार की ओर से इनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 27.06.2026 को प्राथमिकी व जप्ती सूची की छायाप्रति के साथ नवीन वकालतनामा सह अग्रिम जमानत आवेदन पत्र दाखिल किया गया है, जो कि उत्पाद थाना कांड सं0—152/2026 अंतर्गत धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 से उद्भूत है तथा इसी न्यायालय में लम्बित है, सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त जमानत आवेदन को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संचालित किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि ये पूर्णतया निर्दोष हैं। इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि इन्हें इस वाद में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त द्वारा किसी भी न्यायालय में अग्रिम जमानत हेतु या नियमित जमानत हेतु आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध इस केस के अलावा अन्य कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। प्राथमिकी धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत दर्ज किया गया है, जो कि आवेदक पर लागू नहीं होता है। आवेदक पूर्णतः निर्दोष है। किसी तरह का कोई आरोपित अपराध कारित नहीं किया है तथ्य की भूलवश आरोपित घटना में अलंकरित रूप से आरोपी बनाया गया है। आवेदक को स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि पुलिस आपको खोज रही है, तब जाके पता चला कि आवेदक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज है। आवेदक को भय है कि निम्न न्यायालय में उपस्थित होने पर न्यायिक अभिरक्षा में लिया जा सकता है। यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है कि बिहारी कुमार पिता भीम सिंह का नाम प्राथमिकी में लिखा गया है, जबकि उक्त आवेदक का नाम दीपु कुमार पिता—अनिल सिंह है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है। पकड़ाये अभियुक्त कन्हैया कुमार से कोई संबंध नहीं है और ना ही जप्त शराब से कोई लेना देना है। मुख्य आरोपी कन्हैया कुमार को उक्त केस में दिनांक 18.04.2026 को माननीय न्यायालय के द्वारा जमानत की सुविधा दी गयी है। आवेदक के नाम से कोई जप्ती सूची नहीं है। कुल विदेशी शराब 07.500 लीटर का जप्ती सूची सिर्फ कन्हैया कुमार के नाम से है।

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः–सतीश कुमार झा
अग्रिम जमानत आवेदन सं0–365/2026
उत्पाद थाना कांड सं0–152/2026
बिहार राज्य बनाम् कन्हैया कुमार एवं अन्य।

लगातार

29.06.2026 आवेदक साधन संपन्न व्यक्ति है। वाद विचार के दौरान इनके फरार होने की संभावना नहीं है तथा माननीय न्यायालय के आदेश से उचित राशि का बंध पत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः इनको अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की जाय।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त जमानत का पूरजोर विरोध किया गया एवं कथन है कि घटनास्थल से 07.500 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है। साथ ही इनका अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नहीं है। अतः इनका अग्रिम जमानत पत्र खारिज किया जाए।

उभयपक्षों को सुना। अभियोजन का मामला है कि उत्पाद थाना दिनांक 31.03.2026 को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति एक हरे रंग के सुटकेश लेकर विदेशी शराब लिये हुए मेहुस थाना अंतर्गत मेहुस शेखपुरा जाने वाली मुख्य सड़क में बने चितौड़ा पूल के पास खड़ा है। ससमय छापामारी करने से उक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी हो सकती है तथा शराब की बरामदगी हो सकती है। सूचना को सत्यापित करने हेतु वरीय पदाधिकारी को सूचना से अवगत कराकर मेरे द्वारा एक छापेमारी दल का गठन कर समय करीब 12:50PM बजे गुप्तचर के द्वारा बताये अनुरूप मेहुस थाना अंतर्गत मेहुस शेखपुरा जाने वाली मुख्य सड़क में बने चितौड़ा पूल के पास पहुंचा तो देखा कि एक व्यक्ति पूल के बगल में छूपकर एक हरे रंग के सुटकेश लेकर बैठे हुए हैं, जिससे शंका हुआ कि वह वही व्यक्ति है, जिसके बारे में गुप्तचर द्वारा सूचना दिया गया है, जैसे ही उक्त व्यक्ति की नजर छापामारी दल पर पड़ी तो वह घबड़ा गया तथा बैग पटककर भागने लगा। तत्पश्चात छापामारी दल में शामिल सिपाही द्वारा उक्त व्यक्ति को चितौड़ा पुल के नीचे ही पकड़ लिया गया। पकड़ाये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम कन्हैया कुमार, पे0–मुकेश कुमार, उम्र लगभग–23 वर्ष, साकिन–मेहुस, थाना–मेहुस, जिला–शेखपुरा बताया। तत्पश्चात कन्हैया कुमार के कब्जे वाले हरे रंग के सुटकेश के बारे में पूछने पर बताया कि यह शराब बिहारी कुमार, पे0–भीम सिंह, सा0 मेहुस, थाना–मेहुस, जिला–शेखपुरा को देना था। तत्पश्चात विधिवत नियमों का पालन करते हुए तलाशी लिया गया तो तलाशी के क्रम में हरे रंग के सुटकेश को खोलकर देखा गया तो सुटकेश के अन्दर Magic Moment orange flavoured Vodka का 750ml का 06 बोतल, जिसमें 03 बोतल फूटा हुआ है, कुल मात्रा–750ml X 03 = 02.250 लीटर (B.T No-20 March 2026, for sale in Hariyana Only) एवं Magic Moment Green Apple flavoured Vodka का 750ml का 07 बोतल, कुल 750ml X 07 =

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः—सतीश कुमार झा
अग्रिम जमानत आवेदन सं0—365/2026
उत्पाद थाना कांड सं0—152/2026
बिहार राज्य बनाम् कन्हैया कुमार एवं अन्य।

लगातार

29.06.2026 05.250 लीटर (B.T No-52 March 2026, for sale in Hariyana Only) कुल विदेशी शराब की मात्रा—07.500 लीटर बरामद व जप्त किया गया, जिसे विधिवत नियमों का पालन करते हुए बरामद प्रदर्श को जप्ती सूची तैयार कर जप्त किया गया।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से यह विदित होता है कि प्राथमिकी धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध घटनास्थल से 07.500 लीटर विदेशी शराब बरामद होने का आरोप है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक के विरुद्ध बिहार निषेध उत्पाद अधिनियम, 2016 के धारा 76(2) के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 482 लागू नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा नहीं दी जा सकती है।

अतः तद्नुसार आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायहित में न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए आवेदक की ओर से दाखिल उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पत्र को **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश,
शेखपुरा।
दिनांक 29.06.2026

Date of Judgment/ Order	29—06—2026
Date of Reserving Judgment/Order	29—06—2026
Uploading Date	29—06—2026
Uploaded by	Naveen Kumar Chaudhary.